पुरस्कृत होता है।

२. डाकघर बचत बैंक खाता
(Postal Savings Bank Account)

डाकघर आपकी बचत को सुरक्षित रखने तथा उसका पूरा लाभ उठाने में सदा मदद करता है। कम-से-कम २ रुपए जमा कर डाकघर में यह खाता आसानी से खोला जा सकता है। एक व्यक्ति के नाम में ज्यादा-से-ज्यादा २५,००० रुपया तथा संयुक्त खाते में ५०,००० रुपया जमा हो सकते हैं। भविष्य-निधि-लेखा के लिए कोई सीमा नहीं है। ५½ प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण आयकर-मुक्त ब्याज मिलता है। जमा राशि केवल उसी डाकघर से निकाली जा सकती है, जहाँ पर खाता खोला गया है। साधारण लेखाओं में कम-से-कम एक रुपया और चेक वाले लेखाओं में कम-से-कम पाँच रुपए तक निकाले जा सकते हैं।

ब्याज ३१ मार्च के बाद वर्ष में एक बार जोड़ा जाता है। बैंक की तरह इसमें भी डाकघर खाता खोलनेवाले को लेखा-पुस्तिका देता है, जिसमें प्रत्येक जमा तथा निकासी का लेखा रहता है। लेखा-पुस्तिका के बिना किसी भी लेखे में नकद रुपया के जमा या निकासी की अनुमति नहीं रहती है।

जिन लेखाओं में पूरे छह वर्षों तक किसी प्रकार का लेन-देन नहीं हुआ हो, उन्हें निष्क्रिय समझ लिया जाता है और प्रधान पोस्टमास्टर की आज्ञा के बिना उसमें आगे कोई भी राशि जमा करने या निकालने की अनुमति नहीं रहती है। किसी भी निष्क्रिय लेखा को किसी भी समय आवेदन-पत्र देकर फिर से चालू किया जा सकता है। जमाकर्त्ता के हस्ताक्षर करने के ढंग में यदि कोई विशेष परिवर्त्तन हो जाए, तो उसे इसकी सूचना नमूने के साथ डाकघर को अवश्य भेज देनी चाहिए। यदि रुपये निकालने के पत्र पर किसी जमाकर्त्ता का हस्ताक्षर डाकघर में वर्त्तमान हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है, तो उसे अपने हस्ताक्षर को किसी राजपत्रित सरकारी पदाधिकारी या डाकघर के कर्मचारियों में से परिचित किसी व्यक्ति द्वारा पहचान (Identify) करवाना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए डाकघर पहचान-कार्ड, पारपत्र या किसी अन्य कार्ड को भी, जिस पर जमाकर्त्ता का चित्र वर्त्तमान हो, स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामपंचायत के सरपंचों, नगरपालिकाओं तथा अन्य निकायों आदि के अध्यक्षों द्वारा भी जमाकर्त्ता की स्थानीय पहचान प्रमाणित की जा सकती है।

माता-पिता या अभिभावक नाबालिग की ओर से स्वयं नाबालिग के नाम पर खाता खोल सकते हैं। बच्चों को बचत टिकटों द्वारा बचत करने का प्रोत्साहन देना चाहिए। डाकघरों में ऐसे टिकट २५ पैसे, ५० पैसे और एक रुपए के मिलते हैं।

व्यक्तिगत लेखाओं में मनोनयन (Nomination) की अनुमति दी जाती है। मनोनयन के प्रमाण के आधार पर मनोनीत व्यक्ति को मृत जमाकर्त्ता के नाम जमा राशि निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

Scanned with CamScanner

सावधि जमा खाता

(Time Deposit Account)

यह योजना १९३० ई० में शुरू की गयी। यह योजना बैंक की Fixed Deposit scheme की तरह है। इसके निम्नलिखित नियम हैं—

(१) इस योजना के अन्तर्गत कोई भी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति मिलकर खाता खोल सकते हैं। अवस्यक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के नाम उनके अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है।

(२) यह जमा खाता एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है। इसमें ब्याज की दरें बदलती रहती हैं।

Scanned with CamScanner

(३) ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष किया जाता है, परन्तु ब्याज की गणना हर छमाही पर की जाती है। एक वर्ष से अधिक समय वाले खाते को एक वर्ष पूरा होने के बाद बन्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज की दर कम मिलती है।

(४) जमाकर्त्ता को नामांकन करने की सुविधा रहती है।

(५) खाते का स्थानान्तरण एक पोस्ट-ऑफिस से दूसरे पोस्ट-ऑफिस में किया जा सकता है।

(६) इस खाते में प्राप्त ब्याज ४००० रु० तक आयकर से मुक्त रहता है।

पाँच-वर्षीय आवर्त्ती योजना

१. यह खाता कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति संयुक्त रूप से मिलकर खोल सकते हैं। अभिभावक अवयस्क के नाम भी खाता खोल सकता है।

२. यह खाता ५ रु० या उसके गुणक में खोला जा सकता है।

३. १० रु० प्रतिमाह जमा करने पर ५ वर्ष में ७७८.१० रुपये प्राप्त होते हैं।

४. इस खाते में चक्रवृद्धि ब्याज समय पूरा होने पर मूलधन के साथ मिलता है।

५. आवश्यकता पड़ने पर जमा राशि का ५०% धन एक बार निकाला जा सकता है। निकाले गए धन पर ब्याज लिया जाता है।

६. इस खाते में नामांकन करने की सुविधा रहती है।

७. ६ या १२ माह की अग्रिम राशि जमा करने पर कुछ छूट मिलती है।

८. जितनी राशि से खाता शुरू किया जाता है उतनी राशि प्रतिमाह की अंतिम तारीख तक जमा करना आवश्यक हो जाता है।

९. अगर किसी माह में किस्त का भुगतान नहीं होता है तो अगले माह में १० रु० के पीछे १० नये पैसे प्रतिमाह दण्ड के रूप में बकाए किस्त के साथ जमा किया जा सकता है।

१०. योजना की अवधि पूरी हो जाने पर कुल राशि का चक्रवृद्धि ब्याज-सहित भुगतान हो जाता है।

११. इस योजना के अन्तर्गत २० रु० प्रतिमाह वाले खातों पर डाकघर बीमा-संरक्षण भी देता है। कुछ विशेष शर्तों के आधार पर खातेदार की असमय मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को, ब्याज-लाभ-सहित पूरे रुपये का भुगतान हो जाता है जो कि खातेदार को जीवित रहने पर योजना की अवधि समाप्त होने पर प्राप्त होता।

Scanned with CamScanner